

फॉर्म अहकाम
(नियम 20)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फॉस्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक
प्रार्थना पत्र संख्या 76 वर्ष 2024
शंकर लाल बनाम जयसाम वर्मा
प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का दिनांक जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तारीख में जारी हुए
20.08.2024	मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा श्री रामदयाल शर्मा एड0 ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पेशशुदा तलवाने पर तलवी अप्रार्थीगण की जरिये रजि.एडी की जाकर पत्रावली दिनांक 19.09.2024 को पेश हो। <i>lur</i>	4483-4504 30/08/24
	<p>19/9/24</p> <p>21/11/24</p>	
	<p>21/11/24</p> <p>कार्यालय पेश हुई वकील पत्रावली र एजिल फा10 अस्थायी निषेधाज्ञा की पेश की।</p>	
	<p>16/4/24</p> <p>2/5/24</p>	
	<p>2/5/24</p> <p>कार्यालय पेश हुई प्राप्त एवं प्राप्त वकील की एजिल वकील का वास अक्षर एम0 व अक्षर पी0 ने स्वीकार किया जा चुका है अतः यह प्रथम चरण का कार्य अधिवक्ता की है। अतः प्राप्त का प्रस्तावना स्वीकार किया जाता है कार्यालय पेश होकर वकील पत्रावली में कार्य की जाकर अक्षर प्रस्तावना है।</p> <p><i>one</i></p> <p>सहायक कलेक्टर (फॉस्ट ट्रेक) निवाई</p>	